

क्रमांक— 81/कोरोना/दो-12-11/2020 जबलपुर,दिनांक— 16 मई 2021

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर के संशोधित आदेश क्रमांक 3833/एस.डब्ल्यू./2021 जबलपुर दिनांक 16.05.2021 के द्वारा संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत दिनांक 17.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 24.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (टोटल लॉकडाउन) बढ़ाया/घोषित किया गया है, तथा नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया गया है।

अतः जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के उपरोक्त आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र (SOP) क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 एवं पूर्व में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक लॉक-डाउन होने के कारण किमिनल/सिविल प्रकरणों (जमानत प्रकरणों को छोड़कर) आगामी पेशी नियत की गई थी, ऐसी स्थिति में प्रकरणों को वर्चुअल सुनवाई में आगामी पेशी पर निम्नानुसार लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र.	प्रकरणों में पूर्व से नियत दिनांक	प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक आपराधिक
01	17.05.2021	04.06.2021
02	18.05.2021	07.06.2021
03	19.05.2021	08.06.2021
04	20.05.2021	09.06.2021
05	21.05.2021	10.06.2021
06	22.05.2021	11.06.2021

नोट:-


1. यदि कोई पक्षकार अत्याधिक आवश्यकता के कारण प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कराना चाहता है, तो इसके लिये वह आवेदन देने के लिये स्वतंत्र है।
2. सत्र न्यायालय में लॉकडाउन अवधि के पूर्व से लवित जमानत आवेदन पत्रों में शीघ्र सुनवाई के संबंध में यदि किसी अधिवक्ता को आवश्यकता है तो वह शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर लवित आवेदनों के संबंध में कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।
3. उक्त तिथियां किमिनल प्रकरणों के लिये मान्य होगी।
4. उक्त तिथियां जबलपुर मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पाटन/सिहोरा स्थित समस्त न्यायालयों हेतु मान्य होगी।
5. उपरोक्त तिथियों में आवश्यकता पड़ने पर नियत तिथि पर परिवर्तन किया जा सकता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठांक- वयू / कोरोना / दो-12-11 / 2020 जबलपुर, दिनांक- 16 मई 2021

प्रतिलिपि

- 1 समस्त अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर / सिहोरा / पाटन
- 2 समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 / वर्ग-2 जबलपुर / सिहोरा / पाटन
- 3 अध्यक्ष जिला / तहसील अधिवक्ता संघ जबलपुर / सिहोरा / पाटन
- 4 प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश महोदय जबलपुर को अवगत कराने हेतु।
- 5 जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)